राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

एफ.4 ( )परावि/आप्र/PEAIS/2012–13/पार्ट II/ 379 जयपुर, दिनांक 07.05.2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद–अजमेर/टोंक/
दौसा/झुन्झुनूं/उदयपुर।

विषयः पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना 2012–13 के दिशा–निर्देश

पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना 2012–13 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 8 पंचायती राज संस्थाओं का चयन किया गया है जिसमें 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतें सम्मिलित है।

इस क्रम में भारत सरकार द्वारा राज्य की निम्न पंचायती राज संस्थाओं का वर्ष 2012–13 हेतु चयन किया जाकर उन्हे पुरस्कार राशि स्वीकृत की गई हैः–

क्र. सं.	पंचायती राज संस्था का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
	जिला पंचायत	
1.	जिला परिषद–अजमेर	40.00
	ब्लाक पंचायत	
1.	पंचायत समिति–दौसा, जिला –दौसा	20.00
2.	पंचायत समिति–टोंक, जिला –टोंक	20.00
	ग्राम पंचायत	
1.	दूनी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक	15.00
2.	धतरवाला, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुन्झुनू	15.00
3.	उदावास, पंचायत समिति झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू	15.00
4.	छाली, पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला उदयपुर	15.00
5.	बड़ली, पंचायत समिति भिनाय, जिला अजमेर	15.00

पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना (Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme (PEAIS)) 2012–13 के तहत पुरस्कार स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करवाई गई राशि के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका निम्नानुसार होगीः–

1. वित्तीय प्रावधान

उपरोक्त सारणी में उल्लेखित पंचायती राज संस्थाओं के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित संस्थाओं को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। पुरस्कार राशि का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जावेगा।

2. योजना की कार्यकारी एजेन्सी एवं मॉनिटरिंग

2.1 राज्य स्तर पर इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग जिला आयोजना प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी।

2.2 जिला स्तर पर योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी करेंगे।

2.3 पुरस्कार राशि से करवाये जाने वाले कार्यो के लिये कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित पुरस्कृत संस्था ही होगी।

3. पुरस्कार राशि कहाँ व्यय हो सकेगी :–

3.1 पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्यालय परिसर में सभा भवनों को सुसज्जित करने तथा कार्यालय की क्षमता वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार फोटोस्टेट मशीन, कम्प्यूटर, फर्नीचर, प्रिन्टर, इन्टरकॉम, कूलर, पर्दे, माइक सिस्टम, सफेदी, वाटर कूलर, आर. ओ. आदि सुविधाओं पर राशि व्यय कर सकती हैं।

3.2 पुरस्कार राशि का उपयोग निर्बन्ध राशि के रूप में पुरस्कृत संस्था द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा। इस हेतु कराये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन पुरस्कृत संस्थाओं की साधारण सभाओं में लिये जा सकेंगे। पुरस्कार राशि का उपयोग अन्य योजनाओं से राशि के अभाव में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्राथमिकता से किया जावेगा।

3.3 चूंकि उक्त राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करवाई जा रही है अतः पंचायती राज संस्थायें उनके क्षेत्र विशेष के लिये ऐसे कार्यो को क्रियान्वित करा सकेंगी जो उक्त पंचायती राज संस्था के परिपेक्ष्य में औचित्यपूर्ण एवं प्रत्यक्षतः जनहित से जुडें हुए है।

3.4 इस योजना से किसी पंजीकृत संस्था अथवा ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक कार्यों अथवा व्यक्तिगत परिसम्पत्तियाँ बनाने के लिए राशि नहीं दी जा सकेगी। राशि का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

3.5 योजनान्तर्गत राशि प्राथमिकता से राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था की स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उपयोग की जायें।

4. कार्यो की स्वीकृति –

4.1 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जावेगी।

4.2 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जारी करेंगे।

5. वित्तीय प्रबन्धन –

5.1 पुरस्कार राशि चयनित पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातो में शीघ्र जमा की जा रही है।

5.2 जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के अनुसार सम्बन्धित संस्था राशि का उपयोग किया जाये।

6. राशि के उपयोग हेतु कार्ययोजना

क्र.सं.	कार्य	कार्य अवधि
1.	पुरस्कार राशि से कराये जाने वाले कार्यो का साधारण सभा से अनुमोदन	31 मई, 2013
2.	कार्यो की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना	15 जून, 2013
3.	कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16 दिसम्बर, 2013
4.	अंकेक्षित लेखे एवं कार्यवार प्रगति सूचना	20 मार्च, 2014

7. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा संधारण

योजनान्तर्गत व्यय के लेखे सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा संधारित किये जावेगे। राशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय के मदों का विवरण संस्था द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किया जाये। व्यय विवरण का सत्यापन चाटर्ड एकाउन्टेंट से कराना जाना आवश्यक होगा।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली– 110001।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. सभागीय आयुक्त–अजमेर, जयपुर, एवं उदयपुर।
6. जिला कलक्टर– अजमेर/टोंक/दौसा/झुन्झुनूं एवं उदयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद अजमेर/टोंक/दौसा/झुन्झुनूं एवं उदयपुर।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली, टोंक (टोंक), दौसा (दौसा), चिड़ावा, झुन्झुनूं (झुन्झुनूं), भिनाय (अजमेर) एवं गोगुन्दा (उदयपुर)।
9. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत–दूनी,पंचायत समिति–देवली,(टोंक), ग्राम पंचायत–धतरवाला, पंचायत समिति–चिडावा(झुन्झुनूं), ग्राम पंचायत–उदावास, पंचायत समिति–झुन्झुनूं (झुन्झुनूं), ग्राम पंचायत–छाली, पंचायत समिति–गोगुन्दा (उदयपुर),ग्राम पंचायत–बड़ली, पंचायत समिति–भिनाय (अजमेर)।
10. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु सूचनार्थ।

शासन उप सचिव
(जिला आयोजना)